राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33 / रेडियो. / एम–97 II / 2019 / 167   दिनांक : 30/5/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामो के सम्मुख अंकित परीक्षा सत्र 2018–2019 में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है :–

क.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा	संस्था का नाम
1.	श्री शैलेन्द्र कुमावत सहायक रेडियोग्राफर	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर।	बीएससी पार्ट प्रथम 2019	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर।
2.	श्री कुशल कुमार गोयल सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी खण्डार सवाई माधोपुर	बीएससी पार्ट प्रथम 2019	कोटा विश्वविद्यालय
3.	हिना कुमारी सहायक रेडियोग्राफर	सामान्य चिकित्सालय अलवर	बीएससी पार्ट द्वितीय 2019	राजऋषि भृर्तहरि मतस्य विश्वविद्यालय अलवर
4.	श्री दीपक सैनी सहायक रेडियोग्राफर	सामान्य चिकित्सालय अलवर।	बीए पार्ट तृतीय 2019	राजऋषि भृर्तहरि मतस्य विश्वविद्यालय अलवर
5.	श्री राष्ट्रबंधु चौधरी सहायक रेडियोग्राफर	सामान्य चिकित्सालय अलवर।	एम.ए.फाईनल 2019	राजऋषि भृर्तहरि मतस्य विश्वविद्यालय अलवर
6.	श्री धीरज शर्मा सहायक रेडियोग्राफर	जेकेलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा	एम.ए. (प्रीवियस) 2019	कोटा विश्वविद्यालय
7.	श्री सुनील कुमार सैनी सहायक रेडियोग्राफर	क्षय निवारण केन्द्र अलवर	बीए पार्ट तृतीय 2019	राजऋषि भृर्तहरि मतस्य विश्वविद्यालय अलवर

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
2 राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियो के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5 जिन कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्यन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवसो के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6 अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी / कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापित निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7 अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8 अध्ययन वर्ष में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति का, प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगी।
9 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10 प्रशासनिक कारणो से लोकहित / राज्यहित में स्वीकृति / अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11 राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।
12 अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13 इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जावेगा।
14 राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
2. अधीक्षक जेकेलोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा।
3. अधीक्षक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सामान्य चिकित्सालय अलवर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी खण्डार (सवाई माधोपुर)
6. जिला क्षय रोग अधिकारी, क्षय निवारण केन्द अलवर।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय।
9. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)